

तारीख
हुस

हुस या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
अपील संख्या 23/2022
बअनवान खैराजराय बनाराम गेनाराम वगै.


नंबर
अहकाम
जो इस
तामील
हुए

15.09.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री बाबुलाल विश्‍नोई उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर पूर्व में बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दरजावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्ष के हितों का निर्धारण भी मूल दावे के निस्तारण पर ही संभव है। दावे के विचाराण में रहते अपीलांट को रेस्पोंडेंट अपीलाधीन आराजी से जबरन बंदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोंडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काशत में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। रेस्पोंडेंटगण द्वारा अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट के कब्जे काशत में हस्तक्षेप करते हैं तो अपीलांट के हितों पर कुठाराघात संभाव्य है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलांट द्वारा पेश शपथ-पत्र पर विश्वास कर अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.10.2021 को अपास्त किया जाता है तथा मूल वाद के निस्तारण तक हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 को तावाद फैसला कन्फर्म किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।


(प्रतिवेदीलपेलानिया)
राजेश्वर अमील प्राधिकारी
बाड़मेर